

जोकिन्दर

आमल अधिकारी का कार्यालय

अभिलेख वाद संख्या- 25 (X) 2018-19

वाद का प्रकार- शिष्टा (झारखण्ड) भूमि सुधार अधि 1950 की धारा 4(h) के तहत जांच एवं कार्रवाई से संबंधित।

झारखण्ड सरकार के झापांक-2074/रा0, दिनांक-13.05.2016 सहपठित-श्री अनुज मुखर्जी, निदेशक, भू-अर्जन-सह-विशेष सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का पत्र संख्या-3-खा0ग0धिति-119/88/2308/रा0, दिनांक-03.09.1986 एवं सह-पठित राजस्व विभागीय परिपत्र संख्या-914/रा0, दिनांक-09.12.1998 में निहित निदेश के अनुपालन में गैरमजदूरा खास भूमि की कायम की गयी जामबंदियों की जांच प्रारंभ की गयी। जांच के क्रम में हल्का राजस्व कर्मचारी एवं अधिनि0द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि निम्नांकित विवरणी की भूमि :-

मीजा- 75 पुपा धाना- 208 छाता संख्या- 70 प्लॉट संख्या- 1 एकडा- एकडा की भूमि जो गैरमजदूरा खास अनायाद बिहार (झारखण्ड) सरकार के छाते की सरकारी भूमि है, जिसकी जमाबंदी उस मीजा के पंजी-11 को जिल्द संख्या- I के पृष्ठ संख्या- 119 पर जमाबंदी रियत लख महर्ग के नाम से कायम है।

हल्का कर्मचारी एवं अंचल निश्चिक द्वारा जांचोपयुक्त उपर्युक्त विवरणी की भूमि के विरुद्ध कायम जमाबंदी को संदिग्ध प्रतिवेदित किया गया है।

हल्का कर्मचारी एवं अंचल निश्चिक द्वारा समर्पित जांच प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि उपर्युक्त जमाबंदी बिना सक्षम प्राधिकार के आदेश के/ अवैध बंबोबस्ती के आधार पर/ अवैध कोढ़कर बंबोबस्ती के आधार पर/ अवैध खराब निर्धारण के आधार पर/ सामा हुकुमनामा के आधार पर कायम की गयी है, जिसका उद्देश्य मिजी ताम एवं राज्य को क्षति कारित करना है।

प्रथम दृष्टया उपर्युक्त से स्पष्ट होता है कि उपर्युक्त विवरणी की जमीन की सृजित जमाबंदी अवैध प्रतीत होती है, जिसका बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950, की धारा 4(h) के तहत जांच किया जाना वांछनीय प्रतीत होता है।

अतएव, संबंधित जमाबंदी रियत को नोटिस निर्गत कर उपर्युक्त भू-खण्ड से संबंधित मूल दस्तावेजों/निर्गत लगान रसीद की मांग करें तथा उनका कारण-पृच्छा करें, कि क्यों नहीं उक्त जमाबंदी को अवैध मानते हुए इसे बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत सक्षम प्राधिकार को रद्द करने हेतु अनुशंसित किया जाय।

अभिलेख दिनांक- 10.4.18 को उपस्थापित करें।

लेखापित एवं संशोधित

अंचल अधिकारी

अंचल अधिकारी



नांक

आदेश फलक

अभियुक्ति

10.4.18

अभिलेख उपस्थापित। संबंधित जमाबंदी रैयत का नोटिस तामिला प्राप्त हुआ। नोटिस के आलोक में निर्धारित तिथि को जमाबंदी रैयत के वंशज द्वारा उपर्युक्त भू-खण्ड से संबंधित दस्तावेजो/निर्गत लगान रसीद की प्रति एवं अन्य राजस्व दस्तावेजो की प्रति समर्पित किया है/नहीं किया है, जो अभिलेख में संलग्न है।

अभिलेख दिनांक 16.4.18 को उपस्थापित करें।

अंचल अधिकारी  
गोविन्दपुर


16.04.18

अभिलेख उपस्थापित। संबंधित राजस्व कर्मचारी ने अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्रतिवेदित किया है, कि उपर्युक्त भू-खण्ड गैर आबाद खाता की है। मौजा किलुवा थाना सं० 208, खाता सं० 70, प्लॉट सं० — कुल रकवा—— जो जमाबंदी संख्या—115 में निहित है। जमाबंदी रैयतों के वंशज द्वारा समर्पित साक्ष्य स्वरूप सरकारी भूमि का दस्तावेज वो लगान रसीद समर्पित हैं। वर्णित जमाबंदी बिना सक्षम पदाधिकारी के आदेश के/अवैध लगान निर्धारण के आधार पर निर्गत लगान रसीद/जबर दखल के आधार पर जमाबंदी कायम की गयी है। प्रथम दृष्टया उपर्युक्त विवरणी की भूमि की सृजित जमाबंदी संदिग्ध/अवैध प्रतीत होता है। राजस्व कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा वर्णित जमाबंदी सं०—115 को रद्द करने हेतू जॉच प्रतिवेदन प्रतिवेदित किया है। अनुशासित जॉच प्रतिवेदन से से सहमत होते हुए अभिलेख मूल में आवश्यक कार्रवाई हेतू भूमि सुधार उप समाहर्ता, धनबाद को भेजे।

अंचल अधिकारी  
गोविन्दपुर



अभिलेख आज उपस्थापित/ अंचल अधिकारी 21/12/18 के पत्रांक  
608 दिनांक 18/4/18 द्वारा अभिलेख प्राप्त है। जमाबंदी धारक को अपना  
 पक्ष रखने हेतु नोटिस निर्गत कर एवं अभिलेख दिनांक 22/6/18 को प्रस्तुत  
 करे।

  
 भूमि सुधार उपसमाहर्ता  
 धनबाद।

20/7/18  
 अभिलेख आज उपस्थापित/ अंचल अधिकारी को एवं  
 जमाबंदी धारक को नोटिस निर्गत कर एवं अभिलेख दिनांक  
20/7/18 को प्रस्तुत करे।

20/7/18  
 अभिलेख आज उपस्थापित/ अंचल अधिकारी को एवं  
 जमाबंदी धारक को नोटिस निर्गत कर एवं अभिलेख दिनांक  
 Document हेतु अंचल अधिकारी को एवं  
20/7/18 को प्रस्तुत करे।

20/8/18  
 अभिलेख आज उपस्थापित/ अंचल अधिकारी को एवं  
 जमाबंदी धारक को नोटिस निर्गत कर एवं अभिलेख दिनांक  
20/8/18 को प्रस्तुत करे।

